

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/473

04/09/2025

प्रति
प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/
सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

संदर्भ: जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 सितंबर, 2025: प्रेस विज्ञप्ति

हम आपको केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक के बारे में सूचित करना चाहते हैं। जीएसटी परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी कर दरों में बदलाव, व्यक्तियों, आम आदमी, आकांक्षी मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने और जीएसटी में व्यापार को सुगम बनाने के उपायों से संबंधित सिफारिशें कीं।

इन परिवर्तनों का उद्देश्य जीएसटी संरचना को सरल बनाना तथा आवश्यक वस्तुओं पर कर दरों को कम करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जबकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर दरों को युक्तिसंगत बनाना है।

नई जीएसटी दरों की मुख्य विशेषताएं

जीएसटी दर स्लैब	विवरण	उदाहरण
0% (छूट)	आवश्यक और जीवन रक्षक वस्तुएँ	दूध (यूएचटी), पनीर, भारतीय ब्रेड, जीवन रक्षक दवाएं, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसियां
5%	दैनिक उपयोग और बड़े पैमाने पर उपभोग	टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, साइकिल, कृषि उपकरण, ₹7,500 प्रति रात्रि से कम के होटल कमरे
18%	सामान्य वस्तुओं के लिए मानक दर	इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी >32"), एयर कंडीशनर, छोटी कारें, मोटरसाइकिल ≤350cc, सीमेंट
40%	अति-विलासिता और पाप वस्तुएं	तंबाकू उत्पाद, शर्करायुक्त कार्बोनेटेड पेय, लक्जरी वाहन, नौकाएँ, हेलीकॉप्टर

प्रभावी तिथि:

ये संशोधित जीएसटी दरें **22 सितंबर, 2025** से लागू होंगी।

व्यापार पर प्रभाव:

- आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुओं और जीवन रक्षक दवाओं पर महत्वपूर्ण कर राहत।
- सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं पर कर दरों का सरलीकरण।
- विलासिता और पाप वस्तुओं पर उच्च कर दरें।

हम सभी सदस्यों को सलाह देते हैं कि वे संशोधित दरों पर विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न **जीएसटी अपडेट** और **FAQ** की समीक्षा करें, ताकि प्रभावी तिथि तक सुचारू परिवर्तन और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद!

टीम प्लेक्सकॉन्सिल